न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/169

सत्यनारायण आत्मज श्री रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी नयागॉव खालसा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मोडू लाल आत्मज श्री फत्ता जी जाति जाट निवासी ग्राम जामुनिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 20.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 54 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम जामुन्या तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में कुल 08 किता की 3.03 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादी का 4/6 हिस्सा मौजूद है । वादी ने अपने सगे भाई व बहिन शान्ति बाई, गिरधारी, अनोख का हिस्सा 1/2 कय कर लिया था जिससे उसका वादग्रस्त आराजी में 2/3 हिस्सा कायम है । वादी के सहखातेदार जमना लाल, मिट्ठूलाल द्वारा अपने हिस्से की आराजी 1/3 प्रतिवादी को बेचान कर दी थी जिस पर प्रतिवादी कम 1 का 1/3 हिस्सा कयम है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को

अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और विभाजन में प्राप्त भूमि को अपने पृथक खाते में दर्ज करावे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी का 2/3 कब्जे अनुसार पृथक से खाते दर्ज किया जाकर लगान राज भी पृथक से कायम किया जाकर तथा हिस्सा मुताबिक कब्जा दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2016 के द्वारा दावा वादी स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की तथा दिनांक 14.06.2016 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री के खिलाफ वादी अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 14.1.2017 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया ।

5. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया और अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.04.2019 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.04.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, रामगंजमण्डी से जो विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया उस विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों के मध्य आराजी का विभाजन किया गया । उक्त आराजी में खसरा नम्बर 43 की 0.01 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 47 की 0.01 हैक्टर में कुए स्थित हैं । दोनों खसरा नम्बर में अलग–अलग दो कुए स्थित हैं । तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 47 के कुए को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को दिया जाना प्रस्तावति किया गया है तथा खसरा नम्बर 43 के कुए को संयुक्त रखा गया । उक्त रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आने के बाद अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया कि एक कुआ रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को दे दिया जाये तथा एक कुआ अपीलान्ट को दे दिया जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी कारण के एवं बिना किसी आधार के दोनों कुओं को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के खाते दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज है अपीलान्ट को भी कुआ प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 16.04.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जो दिनांक 04.01.2016 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया और दिनांक 14.06.2016 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई । अंतिम डिक्री की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में पेश होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए तसहील से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.04.2019 से अंतिम डिक्री पारित कर दी । उक्त आराजी में खसरा नम्बर 43 की 0.01 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 47 की 0.01 हैक्टर में कुए स्थित हैं । दोनों खसरा नम्बर में अलग–अलग दो कुए स्थित हैं । तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 47 के कुए को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को दिया जाना प्रस्तावति किया गया है तथा खसरा नम्बर 43 के कुए को संयुक्त रखा गया । अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि एक कुआ रेस्पोडेन्ट को दिया गया है तो एक कुआ अपीलान्ट को दिया जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किस कारण के दोनों कुए रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये हैं । राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज है । अपीलान्ट को कुआ प्राप्त करने का अधिकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअन्दाज कर निर्णय एंव अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.04.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर निर्णय एंव अंकित डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.04.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसील से जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं उनका अवलोकन किया । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं जबकि तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किये गये हों ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है क्योंकि पक्षकारों के विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं हैं । विभाजन प्रस्ताव के साथ पक्षकारों के हिस्सों को दर्शाते हुए भिन्न – भिन्न स्याही का उपयोग करते हुए नक्शा भी नहीं दर्शाया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है जो कि आवश्यक है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा